बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

रान्यास के 64वें एवं 65वें सत्र के अनुसूचियों का डाटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन और अपडेशन के लिए निविदा आमंत्रण।

रान्यास के 64वें एवं 65वें सत्र के सर्वेक्षित अनुसूचियों 33020 (तैतिस हजार बीस) की डाटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन और अपडेशन के लिए अनुभवी फर्मो/एजेंसियों से निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्ते निम्नवत है:-

1. वैसे ख्याति प्राप्त फर्म जिनका पिछले तीन वर्षो में वार्षिक टर्नओवर प्रतिवर्ष रु० कम से कम 20,000,00/-(बीस लाख रुपया) हो।
2. फर्म/ऐजेंसी को इस तरह के डाटा इन्ट्री, वैलिडेशन और अपडेशन कार्य के कम्प्यूटराइजेशन का तीन वर्षो का अनुभव अनिवार्य है। निविदा के साथ कार्यानुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. इस कार्य हेतु सॉफ्टवेयर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
4. इच्छुक निविदादाता विज्ञापन प्रकाशन के बाद निर्धारित तिथि के अन्दर किसी भी कार्य दिवस को रान्यास के 64वें एवं 65वें सत्र की अनुसूचियों का आकलन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के रान्यास प्रशाखा बैरेक सं०-17 पुराना सचिवालय में आकर कर सकते है।
5. इस विज्ञापन प्रकाशन के बाद किसी भी कार्य दिवस को वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बैरक नं०-17 पुराना सचिवालय पटना से एक आवेदन के साथ रु 500/-(पाँच सौ रुपया) बैक ड्राफ्ट जमा कर निविदा प्रपत्र दिनांक-04.11.2013 के 12:00 बजे पूर्वाहन् तक प्राप्त किया जा सकता है। बैक ड्राफ्ट वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के पदनाम से स्टेट बैक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा पटना में भुगतेय होना चाहिए। निविदा के साथ रु० 5000/-(पाँच हजार रुपये) की अर्नेस्ट मनी (EMD) गारंटी बैक ड्राफ्ट/बैक गारंटी के रुप में देना होगा।
6. मुहरबंद निविदा में तकनीकी डाक एवं वित्तीय डाक अलग-अलग लिफाफे में रहेगें, जिसे दिनांक-04.11.2013 के अपराह्न 3:00 बजे तक वरीय संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बैरक-17, पुराना सचिवालय बिहार, पटना के यहाँ दिया जा सकता है। इसके बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा और निविदा दिनांक-04.11.2013 को 3:30 बजे अपराह्न में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।
7. विभाग को बिना कारण दर्शाये किसी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

09/10/2013
(उपेन्द्र कुमार दास)
वरीय संयुक्त निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

Jain3 20-09-13